न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 02/2024 G.C.M.S. No. 2024/63 दर्ज दिनांक : 11.01.2024

अपीलार्थिगण:

1. लक्ष्मी चौधरी पुत्री श्री मंगलारामजी जाति सीरवी निवासी ग्राम रायपुर, तहसील रायपुर जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. लादूराम पुत्र सुराराम
2. रमेशकुमार पुत्र भंवरलाल जरिये कुदरती वली माता श्रीमती केलीदेवी
3. श्रीमती केलीदेवी पत्नी स्व. भंवरलाल
4. लूम्बाराम पुत्र केसाराम
5. गलकाई पत्नी केसाराम
6. पानीदेवी पुत्री सुराराम पत्नी मांगीलाल
7. मीरादेवी पुत्री सुराराम पत्नी अमराराम
8. पीथाराम पुत्र नारायणलाल जरिये कुदरती वली माता सीतादेवी
9. राकेश पुत्र नारायणलाल जरिये कुदरती वली माता सीतादेवी
10. सीतादेवी पत्नी नारायण तमाम जातियान सीरवी निवासी ग्राम रायपुर, तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
11. श्रीमान तहसीलदार भूमिधारक रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
12. श्रीमान उपपंजीयन महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला ब्यावर।
13. राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2020 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.12.2023

उपस्थित:–

1. श्री गजेन्द्र दवे, श्री भगवती प्रसाद चौहान, श्री सुनील दवे, श्री अर्जुन चौहान, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री नारायणलाल कुमावत, श्री भरतसिंह चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रायपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 21/2020 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.12.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 लादूराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रायपुर के न्यायालय में एक वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा ग्राम रायपुर पटवार क्षेत्र रायपुर प्रथम भू.अ.नि. रायपुर में खसरा संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

738/5 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 738/7 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 744/10 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, के संबंध में बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये उक्त निर्णय व डिक्री पारित की है क्योंकि अपीलांट के पिता द्वारा अपने जबावदावे में यह तथ्य उजागर कर दिये थें कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का पूर्व में आपसी सहमति से मौके पर बंटवाडा किया जाकर सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है जिस बंटवाड़े के अनुसार खसरा संख्या 744/10 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कृषि भूमि अपीलांट के पिता को सुपुर्द की गई जिसके पश्चात् खसरा संख्या 744/10 की कृषि भूमि में रेस्पोंडेन्टगण का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है और न ही खसरा संख्या 744/10 व रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त आया हुआ स्थित है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं दस्तावेजों को नजरअंदाज कर अपीलांट के विरूद्ध पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। अपीलांट के प्रिसिंपल विक्रेता मंगलारामजी के द्वारा दिनांक 07/12/2022 को जवाब दावा मय प्रतिदावा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस जवाब दावे मे वादी के तथ्यों का पूर्ण रूप से खण्डन करते हुये पूर्व मे हुये मौखिक बंटवाड़े का नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया साथ ही खसरा संख्या 744/10 की भूमि पर मंगलारामजी का कब्जा काश्त आया हुआ स्थित है, जिसके अनुसार बंटवाड़ा करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया, जिस जवाब दावा व प्रतिदावे के आधार तनकीयात विरचित की जानी चाहिये थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकीयात विरचित किये, बिना साक्ष्य पत्रावली पर लिये तथा बिना दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाये बिना गुणावगुण निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल की हैं। दिनांक 23/08/2023 को वादी के अधिवक्ता द्वारा वादी का वाद नोटप्रेस कर दिया गया जिसका अंकन आदेशिकाओं में बखूबी है। एक बार वाद नोटप्रेस कर दिये जाने के पश्चात् वाद को पुनः रेस्टोर किये जाने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून को ताक पर रखते हुये नोटप्रेस किये हुये वाद का पुनः सेवन से त्रुटि का होना बताते हुये रेस्टोर कर दिया जिसे करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नही हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी मनमर्जी अनुसार बिना पक्षकारो की सहमति लिये या पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बिना सहमति लिये ही दिनांक 11.12.2023 को प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने का आदेश पारित कर दिया जबकि दिनांक 11.12.2023 की आदेशिका मे सहमतिस्वरूप किसी

राजस्व अ[illegible] प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

भी पक्षकार के या पक्षकार के अधिवक्ताओं के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी मनमर्जी अनुसार अपीलांट की बिना सहमति व स्वीकृति प्राप्त किये मनमर्जी अनुसार उक्त प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 11.12.2023 को पारित की हैं। साथ ही प्राथमिक डिक्री व निर्णय के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26/12/2023 को तैयार किया गया जो विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना तैयार किया गया क्योंकि अपीलांट को बिना सुनवाई का अधिकार प्रदान किये बिल्कुल गलत व विधि विरूद्ध तरीके से खसरा संख्या 744/10 सभी खातेदारान मे विभाजित कर दी जबकि खसरा संख्या 744/10 पर एकमात्र कब्जा अपीलांट का ही आया हुआ स्थित है। अपीलांट के द्वारा दिनांक 04/01/2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया जिस प्रार्थना पत्र पर वादी के अधिवक्ता द्वारा आपति नही किये जाने पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम पुत्र सूराराम के स्थान पर पक्षकार संयोजित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया तथा यह आदेश दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम के आगे कोष्ठक में अपीलांट का नाम अंकित किया जावें, उसी दिन दिनांक 04/01/2024 को वादी के अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक पेश कर दिया और उसी दिन दिनांक 04/01/2024 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी जबकि अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के पश्चात् अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना तथा अपनी प्रतिरक्षा प्रस्तुत किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अधिकार दिये अपनी मनमर्जी अनुसार सहमति अंकित कर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी जबकि दिनांक 04/01/2024 की आदेशिका में अपीलांट के अधिवक्ता या अपीलांट के बतौर सहमतिस्वरूप हस्ताक्षर मौजूद नहीं हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रावधानों की अवहेलना कर उक्त निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री को अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया।

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के पूर्ववर्ती मंगलाराम एवं दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजी के बंटवाड़े व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
...ली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.12.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांट पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं हैं। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया था। परंतु अपील विचारण के दौरान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा धारा 96 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व मूल वाद में अंतिम डिक्री पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को बतौर प्रतिवादी पक्षकार आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का निस्तारण करते हुए संयोजित किया तथा अंतिम डिक्री में अपीलांट पक्षकार संयोजित है। अपीलांट मूल वाद के पूर्ण निर्णय से पीड़ित होने से प्राथमिक व अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की हैं। दौराने अंतिम बहस अपीलांट की जानकारी में आया कि प्राथमिक डिक्री की अपील हेतु अनुमति का प्रार्थना पत्र पत्रावली पर सहवन से रह गया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से पीड़ित पक्षकार की श्रेणी में आती हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील की अनुमति प्रदान करावें।

2. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा अपीलांट के प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के साथ अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। जो नहीं किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र अपीलांट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान पेश किया गया। जो अनुमत नहीं हैं। प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र नहीं हैं तथा प्रार्थना पत्र स्वयं अपीलांट की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी किए जाने के उपरांत अपीलांट द्वारा दिनांक 04.01.2024 को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत प्रतिवादी मंगलाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम द्वारा अपना हक, हिस्सा अपीलांट को पंजीकृत बख्शीश कर देने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त आराजी के प्रतिवादी मंगलाराम से वाद विचारण के दौरान इनका हक, हिस्सा पंजीकृत बख्शीश से प्राप्त किया गया। प्रकरण में दिनांक 04.01.2024 से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.12.2023 को पारित कर दी गई थीं। जिसमें अपीलांट बतौर पक्षकार संयोजित नहीं हैं, साथ ही अपीलांट स्वयं द्वारा धारा 96 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न ही अपील प्रस्तुत करने के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अपीलांट बख्शीशगृहीता का हित बख्शीशकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 मंगलाराम से अधिक व उनसे भिन्न नहीं हो सकता तथा अपीलांट को अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री से पीड़ित व प्रभावित पक्षकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

नहीं माना जा सकता। साथ ही अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित होने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध आक्षेप करने की अनुमति प्रदान किया जाना विधिसंगत व उचित नहीं माना जा सकता।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बखूबी साबित नहीं होता है तथा अपीलांट को अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री से पीड़ित व प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सपठित धारा 151 सीपीसी बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील प्रस्तुत करने की अनुमति विधारित होने से अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

राजस्व अपील ... पाली

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील प्रस्तुत करने की अनुमति विधारित होने से इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.04.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner